



BULANDSHAHR POLICE



दिनांक - 25 फरवरी, 2025

थाना – अरनिया

03 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे/निशादेही से चोरी की 05 बाइक, अवैध चाकू बरामद।

जनपद में अपराधों पर अंकुश लगाये जाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 24/25.02.2025 की रात्रि में थाना अरनिया पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान बिजलीघर मुनी कट के पास से 02 शातिर वाहन चोरो को चोरी की एक बाइक सहित गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों की निशादेही से एक अन्य वाहन चोर को अवैध चाकू व चोरी की 04 अन्य बाइक सहित बिजलीघर खंडर के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना अरनिया पर मुअसं- 62/25 धारा 317(2)/317(4) /317(5)/112 बीएनएस व 4/25 शस्त्र अधि० पंजीकृत करते हुए अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1. धीरू शर्मा पुत्र सुशील निवासी ग्राम मुनी थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।
2. मौसम प्रजापति पुत्र मनोज कुमार निवासी उपरोक्त।
3. तुषार शर्मा पुत्र अशोक शर्मा निवासी उपरोक्त।

बरामदगी-

1. 01 बाइक स्प्लेंडर प्लस नं० UP-13BX-1627
2. 01 बाइक स्प्लेंडर प्लस नं० UP-14EL-3018
3. 01 बाइक स्प्लेंडर प्लस नं० UP-13AF-3186
4. 01 बाइक पैशन प्रो प्लस नं० UP-13AL-1425
5. 01 बाइक स्प्लेंडर नं० UP-30S-4688
6. 01 अवैध चाकू

गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा बरामद बाइक UP-13BX-1627 को दिनांक 08.02.2025 को थाना अरनिया क्षेत्र के जरारा रोड़ मुनी से चोरी किया गया था जिसके सम्बन्ध में थाना अरनिया पर मुअसं- 50/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा बाइक UP-14EL-3018 को जनपद गाजियाबाद से वर्ष-2022 में चोरी किया गया था जिसके संबंध में क्राईम ब्रांच दिल्ली थाना मंडावली जनपद पूर्वी दिल्ली पर मुअसं- 18155/22 धारा 379 भादवि पंजीकृत हैं। शेष बाइक को ट्रैस करने का प्रयास किया जा रहा हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं- 18155/22 धारा 379 भादवि क्राईम ब्रांच दिल्ली थाना मंडावली जनपद पूर्वी दिल्ली
2. मुअसं- 50/25 धारा 303(2) थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।
3. मुअसं- 62/25 धारा 317(2)/317(4) /317(5)/112 बीएनएस व 4/25 शस्त्र अधि० थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री राजकुमार सिंह थाना प्रभारी अरनिया
2. व०३०नि० छैलबिहारी शर्मा,
उ०नि० केदारनाथ राय, उ०नि० अशोक कुमार
3. का० विष्णू कुमार, का० मोहित कुमार वैशला



मीडिया सैल बुलन्दशहर